उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में

2015 के आदेश संख्या 142 से अपील

उत्तराखंड राज्य व अन्य ———————— अपीलकर्ता

बनाम।

मैसर्स एनकेजी इंफ्रांस्ट्रक्चर लिमिटेड————————प्रतिवादी

एडवोकेटः श्री जे.पी. जोशी, अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री एम.एस.बिष्ट, राज्य /अपीलकर्ता हेतु ब्रीफ होल्डर।

श्री सिद्धार्थ सिंह, प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्ता।

माननीय शरद कुमार शर्मा, जस्टिस।

अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अपील मध्यस्थता व सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के अनुसार, जनपद न्यायाधीश, उत्तरकाशी द्वारा विविध केस नं0 01/2014 उत्तराखण्ड राज्य व अन्य बनाम मैसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में उपरोक्त अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकृत करने के आदेश के विरूद्ध की गयी है। विद्वान अदालत द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया था, तथा 02.09.2013 को एकमात्र मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय व पंचाट को पुष्ट किया है।

2— प्रश्नगत आदेश के विरूद्ध अपील दिनांक 11—03—2015 को इस न्यायालय की रजिस्ट्री के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। पक्षकारों के पारस्परिक अभिवचनों का आदान—प्रदान किया गया। इसके पश्चात् दिनांक 13—03—2021 को रजिस्ट्री के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहते हुए 8 वर्ष के उपरांत अपीलार्थी द्वारा आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा— 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रथम बार एनटीपीसी लिमिटेड, लोहारीनागपाला जल विद्युत परियोजना, डाकघर— भटवाड़ी को वर्तमान अपील में प्रत्यर्थी बनाये जाने हेतु विविध आवेदन संख्या 18311/2021 प्रस्तुत किया गया।

3— प्रत्यर्थी के अधिवक्ता द्वारा पक्षकार बनाये जाने के आवेदन का घोर विरोध किया गया। विभिन्न आधारों पर आपत्ति की गई—

i. एनटीपीसी, चूंकि समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता पक्षकारों में से एक नहीं है, इसलिए इसे अपीलीय स्तर पर पहली बार एक पक्षकार के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कार्यवाही में उनकी भागीदारी पक्षकारों के बीच पारस्परिक विवाद का निर्णय लेने के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं होगी, जो अनुबंध के नियमों और शर्तों द्वारा शासित और उत्पन्न हुए थे।

ii. अपीलकर्ता द्वारा आदेश 01 नियम 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से प्रस्तुत तर्क व दलील उस समय भी मध्यस्थ के समक्ष बहुत अच्छे तरीके से उपलब्ध थे जब मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही जब्त की गयी थी, किन्तु अपीलकर्ताओं द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही में एनटीपीसी को प्रत्यर्थी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसका कारण अपीलकर्ता को अच्छी तरह ज्ञात है।

iii. अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा संयोजन प्रार्थना पत्र के समर्थन में दिये गये तर्क, कि प्रत्यर्थियों द्वारा किये गये कार्य परियोजना से उत्पन्न स्वीकृत देनदारी योग्य निपटारे के उद्देश्य से अपीलकर्ता और एनटीपीसी के बीच कुछ छुट–पुट संव्यवहार हुये हैं, यदि वह विधि के अनुरूप हैं तब स्वयंमेव अपीलकर्ता और एनटीपीसी के बीच एक बाध्यकारी प्रभाव रखेंगे, किन्तु यह उपरोक्त अधिनियम की धारा– 37 के तहत अपीलीय स्तर पर एनटीपीसी को शामिल करने का स्वयंमेव कारण नहीं होगा।

iv. वह आगे प्रस्तुत करता है कि अपीलीय स्तर पर एनटीपीसी की भागीदारी आवश्यक पक्ष नहीं हो सकती है, जहां आदेश से वर्तमान अपील में न्यायिक जांच का विषय अधिनियम की धारा 34 के तहत उसके आवेदन की अस्वीकृति के आदेश के लिए है और जिसके परिणामस्वरूप 02–09–2013 के निर्णय की अंतिम पुष्टि होती है। एक बार जब एनटीपीसी को एक पक्षकार के रूप में शामिल करने के लिए 02–09–2013 के अधिनिर्णय द्वारा एक निर्धारित अधिकार निर्धारित किया गया था, तो इस अदालत द्वारा अपीलकर्ताओं को अपीलकर्ताओं के लिए नए सिरे से कार्यवाही का सहारा लेने के लिए नए रास्ते खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिससे पूरी तरह से एक नया अध्याय शुरू हो गया, जो समझौते का हिस्सा या यहां तक कि मध्यस्थ के समक्ष या धारा 34 की कार्यवाही के अन्तर्गत साक्ष्य नहीं था।

v. आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा– 151 सिविल प्रक्रिया संहिता, के अन्तर्गत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन उपरोक्त अधिनियम द्वारा लगाई गई रोक के मद्देनजर विचार योग्य नहीं होगा। प्रत्यर्थियों द्वारा संयोजन प्रार्थना पत्र के विरूद्ध प्रस्तुत आपत्ति में उठाये गये तथ्य की सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को मध्यस्थता व सुलह अधिनियम, 1996 के अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कार्यवाही पर लागू नहीं किया जा सकता था। आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा– 151 सिविल प्रक्रिया संहिता, प्रस्तुत मामले में अपीलीय स्तर पर लागू नहीं होगा, क्योंकि यह एक ऐसा मामला था जो 1940 के मध्यस्थता व सुलह अधिनियम के अन्तर्गत आता था, जहां 1940 के अधिनियम की धारा 41 के अन्तर्गत निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 01, नियम 10 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर विचार करते समय न्यायिक विचार में यह मुद्दा थोड़ा भिन्न होता।

4– याचिका का विरोध करते हुये प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को पूरा करने के लिए, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने **उदित नारायण सिंह मालपहारिया बनाम राजस्व बोर्ड, बिहार और एक अन्य, एआईआर 1963 सुप्रीम कोर्ट 786** में रिपोर्ट किए गए एक निर्णय को प्रस्तुत किया है और विशेष रूप से उन्होंने पैरा 7 का संदर्भ दिया है। जो निम्नानुसार है :–

"(7) उठाए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए शुरू में यह पता लगाना सुविधाजनक होगा कि कार्यवाही में कौन आवश्यक या उचित पक्षकार है। इस विषय पर विधि सुस्थापित है। यदि हम सिद्धांत बताते हैं तो यह पर्याप्त है। एक आवश्यक पक्षकार वह है जिसके बिना कोई आदेश प्रभावी ढंग से नहीं किया जा सकता है। एक उचित पक्ष वह है जिसकी अनुपस्थिति में एक प्रभावी आदेश दिया जा सकता है, लेकिन कार्यवाही में शामिल प्रश्न पर पूर्ण और अंतिम निर्णय के लिए उसकी उपस्थिति आवश्यक है।

5– पैरा 7 में दिए गए सिद्धांतों, यदि उन्हें इस मामले के संदर्भ और तथ्यों में ध्यान में रखा जाता है, तो वास्तव में यह वर्तमान मामले की परिस्थिति में तथ्यात्मक रूप से लागू नहीं होगा, जो मध्यस्थता कार्यवाही से उत्पन्न हो रहा था जहां सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की प्रयोज्यता का एक विशिष्ट निष्कासन था। इसलिए, पैरा 7 में निर्धारित व्यापक सिद्धांत, जहां यह प्रावधान किया गया है कि आम तौर पर प्रभावित पक्षों को सुने बिना कार्यवाही शून्य होगी, लेकिन यहां प्रभावित पक्ष अपीलार्थी और प्रत्यर्थी होंगे, न कि एनटीपीसी। यह एनटीपीसी नहीं है, जो प्रस्तुत मामले में आया है कि यदि कोई आदेश पारित किया जाता है, तो उन्हें आदेशों द्वारा प्रभावित किए जाने की संभावना है, एनटीपीसी स्वयं 1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील में खुद को इस न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए कार्यवाही का उपयोग कर सकता था।

6– इसलिए, उक्त निर्णय के पैरा 7 के सिद्धांत पर उस मामले में विचार किया जा रहा था, जो **बिहार राजस्व कानूनों** के तहत कार्यवाही से उत्पन्न हुआ था और विशेष रूप से तथ्यात्मक भाग के अन्तर्गत जो विचार का विषय था, को ध्यान में रखा जाता है, यह शराब की दुकान के लिए लाइसेंस जारी करने से उत्पन्न विवाद के परिणामस्वरूप राजस्व की वसूली से संबंधित है, जिसे बिहार राज्य के आबकारी अधिकारियों द्वारा रद्द कर दिया गया था। इसलिए, जिस पृष्ठभूमि में पक्षकारों के संयोजन के प्रभाव के पहलू को ध्यान में रखा गया था, वह पूरी तरह से एक अलग संदर्भ और तथ्यों के अन्तर्गत था, और वर्तमान मामले में समान रूप से लागू नहीं किया जाएगा।

7– वर्तमान मामले में उक्त सिद्धांत को लागू न करने का एक और कारण यह है, कि यद्यपि इस न्यायालय ने पहले ही कहा है कि यह एक निर्णय था जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 19–10–1962 को दिया गया था, यहां तक कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के

प्रर्वतन से बहुत पहले, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के परिणामस्वरूप

कानून बनाया गया था, जब इसने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर आधुनिक कानून अपनाया था, तब विधायिका ने महसूस किया कि 1996 के मध्यस्थता और सुलह अधिनियम को कानून बनाना आवश्यक है, और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1940 की धारा 41 के अन्तर्गत निहित प्रावधान वर्तमान मामले व अधिनियम में लागू नहीं होंगे को समझना आवश्यक है, क्योंकि इससे 1996 के अधिनियम के उद्देश्य और विफल होंगे। इसलिए उदित नारायण (सुप्रा) के फैसले में जिस सिद्धांत पर अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया है, वह लागू नहीं होगा, क्योंकि उसमें विचाराधीन प्रक्रिया सामान्य राजस्व कानूनों द्वारा शासित थी, जैसा कि बिहार राज्य में लागू होता है। जो समान परिस्थितियों के समान नहीं है, क्योंकि यह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत आयोजित कार्यवाही में विचार करता है और वह भी उस अधिनियम के तहत जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 19–10–1962 को निर्णय के प्रतिपादन के पश्चात् बहुत बाद में कानून बनाया गया था।

8– एक और निर्णय है जिस पर अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया है, वह है **असम राज्य बनाम भारत संघ और अन्य, (2010) 10 सुप्रीम कोर्ट केस 408** निर्णय के पैरा 16 में की गई टिप्पणियों के आलोक में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के लागू होने पर विचार किया गया है। उस समय उक्त मामले में जिस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर विचार किया गया था, वह परिवार कल्याण योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप थी, जिसे भारत संघ द्वारा जारी किया गया था, जिसमें मानदेय के आधार पर स्वैच्छिक महिला परिचर की नियुक्ति के प्रावधान माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचार का विषय थे और यह उस संदर्भ और तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले के पैरा 16 में टिप्पणी की थी कि विवाद को प्रभावी ढंग से तय करने के लिए किसी व्यक्ति को पक्षकार बनाये जाने के क्या आवश्यक पैरामीटर होंगे और यह एक ऐसा अनुपात था जो उदित नारायण के मामले के सिद्धांत पर आधारित था जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की गई है, इस न्यायालय ने भी कहा है, यह अपनी प्रकृति में बिल्कुल अलग और स्वतंत्र मामला था, फिर भी, कार्यवाही जो विशेष रूप से 1996 के अधिनियम द्वारा शासित है, वर्तमान मामले में लागू नहीं होगी और अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा आधारित उपरोक्त सिद्धांत मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू नहीं होगा।

9– इस मुद्दे से निपटने के लिए ऊपर की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, किन परिस्थितियों में एक तीसरा व्यक्ति, जो किसी समझौते या अनुबंध के लिए अजनबी है, जो इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं है और न ही हस्ताक्षरकर्ता है और जिसे मध्यस्थ के समक्ष गुण–दोष के आधार पर निर्धारण और निर्णय लेने के लिए शामिल किया जाना बिल्कुल आवश्यक नहीं है और विशेष रूप से जब कभी कोई प्रयास नहीं किए गए थे। चूंकि मध्यस्थ के समक्ष संदर्भित कार्यवाही शुरू होने से वर्ष 2021 तक विशेष रूप से जब कभी कोई प्रयास

नहीं किये गये थे। जब इस न्यायालय के समक्ष संयोजन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था,

इस न्यायालय का यह विचार है कि प्रत्यर्थी द्वारा आवेदन पर की गई आपत्ति टिकाऊ है और एनटीपीसी धारा 37 के तहत आदेश से वर्तमान अपील में शामिल होने के लिए एक आवश्यक पक्ष नहीं होगा, जो प्रत्यर्थी को प्रदान किए गए कार्य के अनुबंध के दो हस्ताक्षरकर्ताओं के बीच उत्पन्न होने वाले पारस्परिक विवाद पर निर्णय लेने के प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से प्रक्रियात्मक रूप से सीमित है।

10– इस प्रकार संयोजन प्रार्थना पत्र विचारयोग्य प्रतीत नहीं होता और तद्नुसार इसे अस्वीकार कर दिया जाता है।

11– उपरोक्त निर्णय की परिणति के बाद, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 7 की उपधारा (4) के उप खंड (बी) के तहत निहित प्रावधानों के लिए अपनी पिछली दलीलों का विस्तार करते हुए इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है। यदि अध्याय 2 के तहत निहित प्रावधान, जिनमें से उपरोक्त धारा एक हिस्सा है, यदि इसके शीर्षक को ध्यान में रखा जाता है, तो यह केवल मध्यस्थता समझौते को संदर्भित करता है। इसमें मध्यस्थता समझौता शब्द केवल उन शर्तों को निर्धारित करता है, जिन्हें अनुबंध की शर्तों के अन्तर्गत निहित किया जाना आवश्यक है। वे ठोस प्रावधान नहीं हैं, वे केवल प्रक्रियात्मक हैं और स्वीकार करते हैं कि अपीलकर्ताओं और एनटीपीसी के बीच पारस्परिक पत्राचार एक विषय वस्तु नहीं थी, जिसे 1996 के अधिनियम की धारा 7 के उप खंड (बी) उपधारा (4) के निहितार्थ के अनुसार, कार्यवाही के किसी भी स्तर पर अनुबंध में शामिल किया गया था। इसलिए, समझौते की शर्तों को प्रस्तुत करने के बाद इस स्तर पर अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार्य नहीं है। इसलिए, इसे अस्वीकार कर दिया जाता है।

12– सुनवाई के लिए जुलाई 2022 के पहले सप्ताह में सूचीबद्ध करें।

(शरद कुमार शर्मा, जे.)
26.05.2022

आरती